

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बड़गाँव, उदयपुर


प्रार्थी:- सरीता

विपक्षी:- मनीष

किस्म मुकदमा:-वाद

पत्रावली संख्या:-152/19

सन:- 2019

क्र	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>22.01.2020</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2018 से तलबी के अभाव में लम्बित है। न्यायालय द्वारा वादी को कई बार तलबी हेतु अवसर दिये गये हैं। दिनांक 10.12.19 को तलबी हेतु अन्तिम अवसर दिया गया, जिसके बावजूद वादी द्वारा तलबी पूर्ण नहीं कराई गई है। आज भी वादी द्वारा तलबी हेतु सम्मन प्रोसेस प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिससे जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गम्भीर नहीं है नाही अपने प्रकरण में प्रभावी पैरवी करना चाहता है।</p> <p>अतः समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद तलबी नहीं कराने से वादी का वाद तामील के अभाव में खारीज योग्य होने से प्रकरण अदम तामील अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।</p> <p>प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> डा0 मंजू (आई.एस.) उपखण्ड अधिकारी बड़गाँव, जिला-उदयपुर बड़गाँव</p>	

Scanned by CamScanner

